भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1958

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों का आकलन</u>

1958. श्री सी. एम. रमेश :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी कंपनियों की स्थापना के समय से इनके द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा उक्त कार्यकलापों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): अधिनियम के अधीन वर्ष 2014-15 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। जिन 460 सूचीबद्ध कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टें रखी हैं, उनके सीएसआर व्यय आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और 409 निजी क्षेत्र की कंपनियों दोनों द्वारा लगभग 6337 करोड़ रुपए सीएसआर पर खर्च किए गए जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय	अनिवार्य सीएसआर व्यय
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60	3359.84
2	निजी क्षेत्र की कंपनियां	409	3950.76	4987.63
	कुल	460	6337.36	8347.47

कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कंपनियों के लिए कोई वस्तुगत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

*****